राजस्व वाद 44/2019
मनफूल बनाम धन्नाराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण – राजस्व वाद संख्या :– 44/2019

1. मनफूल फूलफगर पुत्र धन्नाराम उम्र वयस्क
   जाति जाट निवासी–खंवर तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. धन्नाराम पुत्र भूराराम, जाति जाट निवासी खंवर
2. मुन्नी पुत्र धन्नाराम जाति जाट, निवासी खंवर
   तहसील–जायल (नागौर)
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
4. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी, एडवोकेट।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री रामप्रकाश बैंदा एडवोकेट।
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार उपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 4 एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय **दिनांक :** 21/09/2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिह के पेश किया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आपस में भाई बहन है प्रतिवादी संख्या 1 उनके पिता है। इनके पुश्तैनी बडेर के खेत जिनपर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 सुविधानुसार काश्त करते आ रहे है, जो ग्राम खंवर तहसील जायल में खसरा नं. 45, 179, 184/689, 340/722, के रूप में स्थित है तथा मुतदाविया खेतायों की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त भूमियां पक्षकारान की सहखातेदारी की है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता खानदान होने से केवल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही खातेदारी दर्ज की गई। उक्त खेताय की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा घरेलू तौर पर विभाजन कर लिया है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र

सहायक कलक्टर
(... प्रो.) जायल (नागौ...

प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री रामप्रकाश बैंदा ने वकालात नामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 उपस्थित है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 परफोर्मा पक्षकार पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रकरण में इकबालिया जवाब तथा प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं तामील सुदा प्राप्त होने पर गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 2 का इकबालिया जवाब, प्रतिवादी संख्या 3 के परफोर्मा पक्षकार होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होन के कारण विवाद्यक बिन्दू तय किये की आवश्यकता नहीं होने से तनकीयात कायम नही की गई।

दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम खंवर तहसील जायल संवत् 2071–2074 खाता संख्या 161/145 प्रदर्श–1 की पेश की व एच.डी.एफ.सी. बैंक का नॉ ड्यूज की कॉपी पेश की। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने इकबालिया जवाब में वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 4 का नॉ ड्यूज पत्रावली में वकील वादी ने पेश किया है। प्रकरण में जमाबंदी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जमाबंदी मे वादीगण का नाम दर्ज नहीं तथा वादी को वाद पत्र में वादी पक्षकार संयोजित किया है, चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पैरा संख्या 5 के अनुसार मौजा खंवर तहसील जायल में स्थित खसरा नं. 45, 179,184/689, 340/722 में वर्णित भूमि का वादपत्र में घोषणा खातेदारी एवं बंटवारा चाहा है।

अतः ग्राम खंवर तहसील के खसरा नं. 45, 179,184/689, 340/722 में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाना तथा उक्त जमाबंदी में अंकित खसरान की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये के अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। मुतदाविया खेताय की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी बढेर की होना सम्पुष्ट होता है। फलतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये वाद वादी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार जाकर डिक्री किया जाना न्यायालय मत में उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

राजस्व वाद 44/2019
मनफूल बनाम धन्नाराम वगैरह

– : : आदेश : : –

यत् वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम खंवर तहसील जायल के खसरा नं. 45, 179, 184/689, 340/722 की भूमि में वादी का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. मौजा खंवर तहसील जायल के खेत खसरा नं. 45 रकबा 3.05 बीघा, खसरा नं. 184/689 रकबा 2 बीघा तथा खसरा नं. 340/722 रकबा 5.10 भूमि वादी मनफूल खातेदार में घोषित की जाती है।
2. शेष खेताय यथावत् रखे जाते है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार हो। तदनुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्र से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सचिन कुमार)
सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 44/2019
मनफूल बनाम धन्नाराम वगैरह

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादी –

राजस्व वाद संख्या :– 44/2019

1. मनफूल फूलफगर पुत्र धन्नाराम उम्र वयस्क
जाति जाट निवासी–खंवर तहसील जायल जिला–नागौर।

प्रतिवादीगण –

बनाम

1. धन्नाराम पुत्र भूराराम, जाति जाट निवासी खंवर
2. मुन्नी पुत्र धन्नाराम जाति जाट, निवासी खंवर तहसील–जायल (नागौर)
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
4. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी, एडवोकेट।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री रामप्रकाश बेंदा एडवोकेट।
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार उपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 4 एक पक्षीय कार्यवाही।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1, 2 हाजरी रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 03 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. मौजा खंवर तहसील जायल के खेत खसरा नं. 45 रकबा 3.05 बीघा, खसरा नं. 184/689 रकबा 2 बीघा तथा खसरा नं. 340/722 रकबा 5.10 भूमि वादी मनफूल खातेदार में घोषित की जाती है।
2. शेष खेताय यथावत् रखे जाते है।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 44/2019
मनफूल बनाम धन्नाराम वगैरह

ीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/09/2020..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

ट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर (सि.डी.ओ.) जायल

21/09/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. जायल (नागौर)